

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/  
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,  
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2025

**विषय:** राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, शाहजहाँपुर में जोनल कार्यालय/जोनल नागरिक सुविधा केन्द्र (अर्बन सिटीजन फैसिलिटेशन सेन्टर) निर्माण कार्य की परियोजना हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-29/2023/1717/नौ-9-2023-001-ई-1683147 दिनांक 25.08.2023 द्वारा नगर निगम, शाहजहाँपुर में जोनल कार्यालय/जोनल नागरिक सुविधा केन्द्र (अर्बन सिटीजन फैसिलिटेशन सेन्टर) निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित/आंकलित कुल लागत धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) ₹0 731.17 लाख (रूपये सात करोड़ इकतिस लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 365.585 लाख (रूपये तीन करोड़ पैंसठ लाख अठ्ठावन हजार पाँच सौ मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-3325/106/SSCM/2021-22, दिनांक 01.03.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम शाहजहाँपुर में जोनल कार्यालय/जोनल नागरिक सुविधा केन्द्र (अर्बन सिटीजन फैसिलिटेशन सेन्टर) निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध लागत धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) ₹0 729.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 363.415 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरसठ लाख इकतालिस हजार पाँच सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, शाहजहाँपुर को अंतरित/व्यय की जायेगी।

- (2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2025 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (3) उक्त शासनादेश संख्या-29/2023/1717/नौ-9-2023-001-ई-1683147 दिनांक 25.08.2023 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 363.415 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरसठ लाख इकतालिस हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
(मो० वासिफ) 12.3.25  
अनु सचिव।

संख्या- 68 (1) /2025/408/नौ-9-2025-001-ई-1683147, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, बरेली।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहाँपुर।
9. निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
13. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
  
(मो० वासिफ) 12.3.25  
अनु सचिव।